

अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई अधिकार पत्र

कैनेडा ईश्वर एवं कानून की सर्वोच्चता मानने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों पर स्थापित हुआ है:

अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी

1. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई अधिकार पत्र, इसमें बताए गये कानून द्वारा नियत केवल यथोचित ऐसी सीमाओं में अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो एक स्वतंत्र और प्रजातंत्रीय समाज में औचित्य स्वरूप प्रमाणित किए जा सकते हैं।

मूलभूत स्वतंत्रताएं

2. प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं: (अ) अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता; (आ) प्रेस और संचार के अन्य माध्यम की स्वतंत्रता सहित विचार, विश्वास, राय और संचार के अन्य माध्यम की स्वतंत्रता; (इ) शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता; और संग-साथ की स्वतंत्रता।

प्रजातंत्रीय अधिकार

3. कैनेडा के प्रत्येक व्यक्ति को लोक सदन या विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का और उसमें सदस्यता के योग्य होने का अधिकार है। 4. (1) इसके सदस्यों के आम चुनाव पर न्यायादेश की वापसी की नियत तारीख से पांच वर्ष ना लोक-सदन और ना ही विधानसभा जारी रहनी चाहिए। (2) वास्तविक या युद्ध की आशंका, आक्रमण या विद्रोह के समय, लोक-सदन संसद द्वारा और विधानसभा विधान-मंडल द्वारा पांच वर्षों से आगे चलता रह सकता है यदि ऐसे विधान का विरोध लोकसदन या विधानसभा के एक तिहाई से अधिक सदस्यों के वोटों द्वारा नहीं होता, जो भी उचित हो। 5. संसद तथा प्रत्येक विधान-मंडल की कम से कम प्रत्येक बारहवें महीने एक बैठक होनी चाहिए।

आवागमन का अधिकार

6. (1) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक को प्रवेश होने, टिके रहने या कैनेडा छोड़ने का अधिकार है। (2) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास स्थायी निवासी होने का दर्जा है, अधिकार है (अ) किसी प्रांत में स्थान बदलने और निवास करने का; और (आ) किसी प्रांत में जीविका कमाने का। (3) उपधारा (2) में स्पष्ट किये अधिकारों की शर्त है (अ) किसी प्रांत में लागू हुए साधारण आवेदन के कानून या अमल, उनके अलावा वे जो मुख्य तौर से व्यक्तियों के मध्य वर्तमान या पिछले निवास के प्रांत के आधार पर भेदभाव करते हैं; और (आ) सरकार द्वारा पहुंचाई गई सामाजिक सेवाओं तक पहुंचाने की योग्यता के तौर पर यथोचित निवास स्थान मांगों की शर्त लगाने के लिये कोई कानून। (4) उपधारा (2) और (3) किसी कानून, प्रोग्राम या गतिविधि जिसका मनोरथ किसी प्रांत के उस प्रांत के व्यक्ति, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर घाटे पर हैं, को परे नहीं करते यदि उस प्रांत में नौकरी की दर कैनेडा में नौकरी की दर से नीचे है।

कानूनी अधिकार

7. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की रक्षा का अधिकार है और मूलभूत न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसके अधिकार से वंचित ना होने का अधिकार है। 8. अनुचित तलाशी या ज़ब्ती के विरोध में सुरक्षित होने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। 9. प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने ढंग से नज़रबंद या कैदी ना होने का अधिकार है। 10. बंदी या नज़रबंद होने की अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। (अ) शीघ्र ही इसके कारणों से सूचित होने का; (आ) बिना डील किये वकील करने और हिदायत देने और उस हक से सूचित होने का अधिकार; और (ई) बंदी-प्रत्यक्षीकरण करने के प्रमाण से बांधे रखने का, निश्चय करने और रिहा होने का अगर बांध नियमक नहीं है। 11. किसी जुर्म से आरोपित हुए किसी व्यक्ति को अधिकार है (अ) अकारण डील किये बिना विशेष जुर्म संबंधी सूचित होने का; (आ) यथोचित समय में मुकदमे के होने का; (इ) उस व्यक्ति के विरुद्ध जुर्म संबंधित कार्यवाही में गवाह होने से मजबूर न होने का; (ई) किसी असंलग्न तथा निष्पक्ष न्याय-सभा द्वारा एक न्यायकारी और सार्वजनिक सुनवाई में कानूनानुसार दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने का; (उ) बिना उचित कारण यथोचित जमानत से नकारे ना जाने का; (ऊ) सिवाए सेना कानून अधीन किसी जुर्म के मामले में कोई सैनिक न्याय-सभा सम्मुख हुए मुकदमे, अदालत पंचायत द्वारा मुकदमे के लाभ के प्रति जहाँ जुर्म की अधिक से अधिक सजा पांच वर्षों के लिये कैद या कोई अधिक सजा है। (ए) किसी कार्य या भूल संबंधित कसूरवार ना पाया जाए, जब तक कार्य या भूल के समय कनाडाई या अंतर्राष्ट्रीय कानून अधीन अपराधी करार नहीं कर दिया जाए या देशों के संप्रदाय द्वारा कानून के साधारण सिद्धांतों के अनुसार अपराधी हो; (ए) यदि अंत में जुर्म से निर्दोष ठहराया जाए, इसके लिये पुनः मुकदमा ना हो और जुर्म की सजा दी जाए, पुनः इसके लिये मुकदमा ना हो या सजा ना दी जाए; और (ओ) यदि जुर्म का कसूरवार पाया जाए और कमीशन के समय तथा सजा के समय, कम सजा हेतु जुर्म के लिये भिन्न सजा रही हो। 12. प्रत्येक को किसी भी निर्दयी तथा असाधारण व्यवहार या सजा का निशाना ना बनाए जाने का अधिकार है। 13. कोई गवाह जो किसी कार्यवाही में गवाही देती है, सिवाए किसी मुकदमे में सच बोलने की शपथ लेकर झूठ बोलने के लिए या उल्टे दिए सूत्र के उपयोग से, उस गवाह पर किसी कार्यवाही में निर्दोष सिद्ध करने वाले सूत्र होने का अधिकार है। 14. किसी कार्यवाही में कोई पार्टी या गवाह यदि उस भाषा जिसमें कार्यवाही संचालित हो रही है, को नहीं समझता या बोलता हो या जो बहारा हो उसे किसी व्याख्याता की मदद लेने का अधिकार है।

समानता का अधिकार

15. (1) कानून के आगे और अधीन प्रत्येक व्यक्ति समान है और उसे बिना भेद-भाव विशेष रूप से नस्ल, कौम या जाति संबंधित जड़, रंग, धर्म, लिंग, उम्र या मानसिक या शारीरिक असमर्थता के आधार पर बिना भेद-भाव कानून की समान सुरक्षा और समान लाभ का अधिकार है। उपधारा (2) उपधारा (1) किसी कानून, प्रोग्राम या गतिविधि जिसका मनोरथ इसके घाटे के व्यक्तियों या समूहों की अवस्थाओं को अच्छा करना है सहित उनके जो नस्ल, कौम या जाति संबंधित जड़, रंग, धर्म, लिंग, उम्र या मानसिक या शारीरिक असमर्थता के कारण घाटे में हैं, को परे नहीं करती।

कैनेडा की सरकारी भाषाएँ

16. (1) कैनेडा की सरकारी भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और कैनेडा की संसद और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका प्रयोग करने का समान दर्जा और समान अधिकार तथा विशेष अधिकार हैं। (2) न्यू ब्रन्जविक की सरकारी भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं और न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका प्रयोग करने का समान दर्जा और समान अधिकार तथा विशेष अधिकार हैं। (3) इस अधिकार पत्र में संसद या कोई विधान-मंडल, अंग्रेजी और फ्रेंच के दर्जे की समानता या प्रयोग को सीमित नहीं करता। 16.1(1) न्यू ब्रन्जविक में अंग्रेजी भाषाई समुदाय और फ्रेंच भाषाई समुदाय की प्रतिष्ठित शिक्षा संबंधित संस्थाओं के अधिकार सहित समान दर्जा और समान अधिकार तथा विशेष अधिकार हैं। (2) न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल और सरकार की भूमिका की, उपधारा (1) में हवाला दिये दर्जे, अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनका प्रचार करने की पुष्टि है। 17. (1) प्रत्येक व्यक्ति को संसद के विवादों और अन्य कार्यवाहियों में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग करने का अधिकार है। (2) प्रत्येक व्यक्ति को न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल के विवादों और अन्य कार्यवाहियों में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग करने का अधिकार है। 18. (1) संसद द्वारा पारित किए अधिनियम, पत्र और रिपोर्ट अंग्रेजी या फ्रेंच में छपे और प्रकाशित हों तथा दोनों भाषाओं का अनुवाद सामान्य रूप से प्राधिकृत है। (2) न्यू ब्रन्जविक के विधान-मंडल द्वारा पारित किए अधिनियम, पत्र और रिपोर्ट अंग्रेजी या फ्रेंच में छपे तथा प्रकाशित हों या दोनों भाषाओं का अनुवाद सामान्य रूप से प्राधिकृत है। 19. (1) संसद द्वारा स्थापित किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पेश की दलील में किसी अदालत से निकसित प्रक्रिया में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग किया जा सकता है। (2) न्यू ब्रन्जविक की जनता में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पेश की दलील में या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पेश की दलील में या किसी अदालत से निकसित प्रक्रिया में अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रयोग किया जा सकता है। 20. (1) कैनेडा की जनता में किसी व्यक्ति के संसद या कैनेडा की सरकार की संस्था के किसी मुख्य या केंद्र कार्यालय सहित अंग्रेजी या फ्रेंच में विचारों के आदान प्रदान करने का और उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है और किसी ऐसी संस्था के किसी अन्य कार्यालय संबंधी वही अधिकार हैं जहाँ (अ) ऐसी भाषा में विचारों के आदान प्रदान और कार्यालय से सेवाएँ दोनों अंग्रेजी या फ्रेंच में उपलब्ध हों। (2) न्यू ब्रन्जविक की जनता में किसी व्यक्ति को न्यू ब्रन्जविक विधान-मंडल या सरकार की संस्था के किसी कार्यालय संग अंग्रेजी और फ्रेंच में विचारों के आदान-प्रदान और उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। 21. 16 से 20 धाराओं तक में अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषाओं, या उनमें से किसी से, जो कैनेडा के संविधान के किसी अन्य उपबंध की बदीलत लागू हो, के संबंध में उसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व से वंचित नहीं करता। 22. 16 से 20

धाराओं तक कैनेडा के विधान किसी और नियम की बदौलत अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं या दोनों से ही संबंधित किसी अधिकार-पत्र के, या लागू होने से पूर्व या पश्चात, किसी प्रास लागू कानूनी या परंपरागत अधिकार या विशेष अधिकार का अनादर नहीं करता या कुछ भी नहीं हटाता।

अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा संबंधी अधिकार

कैनेडा के (1) .23 नागरिक अजिनकी प्रथम (सीखी अथवा समझने वाली भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच प्रान्त ,की अल्पसंख्यक भाषा की आवादी हैजिसमें वे , रहते हैं(अ) या , जिन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूल शिक्षा कैनेडा में अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में प्राप्त की है और उस प्रान्त में बस रहे हैं जहाँ उस भाषा में जिसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उस प्रान्त की भाषाई अल्पसंख्यक आवादी की भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच है, उन्हें उस प्रान्त में अपने बच्चों को उस भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार है। कैनेडा (2) के नागरिक जिनके किसी बच्चे ने कैनेडा में अंग्रेजी या फ्रेंच में प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त की या कर रहे हैंअधिकार , है की उनके सभी बच्चे उसी भाषा में प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। (3) (2) और (1) उपधाराएं अधीन कैनेडा के नागरिकों को उनके बच्चों को किसी प्रान्त की अंग्रेजी या फ्रेंच अल्पसंख्यक भाषाई की आवादी की भाषा में प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार है (अ) प्रान्त में जहाँ कहीं नागरिकों के बच्चों की गणना जिनके पास ऐसा अधिकार है , व्यवस्था ठीक साबित करने के लिएअल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के , जनता फंडों में से उनको देने के लिए लागू होता है; और (अ) जहाँ उन बच्चों की गणना ठीक साबित करता है, जिनको जनता की निधियों में से अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा की सहूलियतों में उस शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार शामिल करता है।

प्रवर्तन

24. (1) कोड व्यक्ति जिसके इस अधिकार-पत्र द्वारा गारंटी किये अधिकारों या स्वतंत्रताओं को भंग या इन्कार किया गया है, ऐसे उपाय जिनको अदालत परिस्थितियों में उपयुक्त और न्यायसंगत विचारती है, प्राप्त करने हेतु समर्थ अधिकार-क्षेत्र की अदालत में आवेदन कर सकता है। (2) जहाँ उपधारा (1) अधीन कार्यवाहियों में इसका प्रवेश न्याय के प्रशासन के अधोभित करेगा।

साधारण

25. इस अधिकार- पत्र में अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी किसी आदिवासी, संधि या कैनेडा के आदिवासियों के अन्य अधिकारों के अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं को हटाने या अपमानित किये जाने का अर्थ नहीं निकालना चाहिए, उनमें से (अ) जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं को अक्टूबर 7, 1763 की राजकीय घोषणा द्वारा माना गया; और (अ) जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं को जो अब भूमि दावा करारों द्वारा अस्तित्व में हैं या जिनको अर्जित किया जा सकता है। 26. इस अधिकार-पत्र में जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी से कैनेडा में अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं की, जिनका अस्तित्व है, के अस्तित्व की अस्वीकृति का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। 28. इस अधिकार पत्र में प्रत्येक अवस्था में, इस में पेश किये अधिकारों और स्वतंत्रताओं की नर-नारियों प्रति समान गारंटी है। 29. इस अधिकार पत्र में सांप्रदायिक, अलग (रोमन कैथलिक) या भिन्न विचार-स्कूलों के संबंध में कैनेडा के विधान द्वारा गारंटी के अधिकारों या विशेष अधिकारों के हटाने या निरादर करने जैसा कुछ नहीं है। 30. इस अधिकार पत्र में किसी विधान-सभा या विधान-मंडल प्रति एक हवाले में यूकान इलाके और पश्चिमोत्तरी (नार्थवैस्ट टैरिटरीज़) इलाकों का या उपयुक्त विधानी संस्था के हवाले को शामिल समझना चाहिए, जैसा उचित हो। 31. इस अधिकार पत्र में किसी को या किसी अधिकारी संस्था की विधानी शक्ति का विस्तार करने जैसा कुछ नहीं।

अधिकार पत्र का आवेदन

32. (1) यह अधिकार- पत्र लागू होता है (अ) यूकान इलाके और पश्चिमोत्तरी इलाकों से संबंधित समस्त मामले में, संसद की शक्ति की सीमा के अंदर समस्त मामलों संबंधित संसद और कैनेडा की सरकार प्रति; तथा (अ) प्रत्येक प्रान्त के विधान-मंडल और सरकार प्रति। (2) उप-धारा (1) के होते हुए , इस धारा के लागू होने के तीन वर्षों पश्चात चक धारा 15 का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 33. (1) संसद या किसी प्रान्त का विधान-मंडल, संसद को किसी अधिनियम या किसी प्रान्त के विधान-मंडल प्रान्त के किसी अधिनियम में, जो उचित हो, जाहिर तौर पर घोषणा कर सकते हैं कि इस अधिकार पत्र की धारा 2 या धारा 7 से 15 तक शामिल किये नियम के होते हुए, अधिनियम या अधिनियम का नियम लागू होना चाहिए। (2) किसी अधिनियम या किसी अधिनियम के एक नियम से संबद्धित इस धारा अधीन की किसी घोषणा का वास्तव में होने वाला ऐसा अमल होना चाहिए जो बिन घोषणा हवाला दिए इस अधिकार पत्र के नियम के लिए होता है। (3) उप-धारा (1) अधीन बनाई गई कोई घोषणा लागू होने के पाँच वर्षों पश्चात या घोषणा में निर्दिष्ट अगली तारीख पर समाप्त हो जाता है। (4) संसद या किसी प्रान्त का विधान-मंडल उप-धारा (1) अधीन बने किसी घोषणा को पुनः कानून पास कर सकता है। (5) उप-धारा (4) अधीन पुनः कानून बनाने के संबंध में उप-धारा (3) लागू होती है।

हवाला

34. यह भाग अधिकारों और स्वतंत्रताओं के कनाडाई अधिकार पत्र का हवाला हो सकता था।

“हमें अब मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत मूल्य और मान्यताएं स्थापित करने चाहिए जो हमें कनाडाई के रूप में एकजुट रखते हैं, ताकि हमारी क्षेत्रीय निष्ठाओं से परे भी एक जीवन शैली एवं मूल्य पद्धति हो, जो हमें अपने उस देश पर गर्व का अनुभव कराए जिसने हमें इस तरह की स्वतंत्रता और असीम आनंद दिया है।”

पी.ई. टुडो 1981

यह प्रकरण उन कनाडाइयों के लिये है जो अंग्रेजी या फ्रेंच दोनों के स्वाभाविक वक्ता नहीं हैं। इस प्रकरण को कनाडाई अधिकार पत्र और स्वतंत्रताओं का सरकारी अनुवाद नहीं समझना चाहिये। अधिकार पत्र की व्याख्या या अमल के प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी और फ्रेंच के ही मौलिक प्रकरणों का प्रयोग होना चाहिए।“